

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(25)नविवि / सामन्य / 2014

जयपुर, दिनांक :-

२ JAN 2019

आदेश

विभिन्न विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन, एकल पट्टा जारी किये जाने, पुर्नगठन/उप विभाजन, भूमि के बदले भूमि आवंटन इत्यादि से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु विभाग में प्रेषित किये जाते हैं। इस संबंध में यह देखा गया है कि प्राप्त होने वाले प्रकरणों के संबंध में प्रेषित की जाने वाली चैक लिस्ट/सूचना एक समान नहीं रहती है तथा वर्तमान नियमों के परिपेक्ष्य में स्वीकृति प्रदत्त किये जाने हेतु समस्त आवश्यक सूचना चैक लिस्ट के ग्राउप में अंकित नहीं है।

अतः विभाग में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के परीक्षण व निस्तारण में एकरूपता बनाये जाने की दृष्टि से भू-उपयोग परिवर्तन, एकल पट्टा जारी किये जाने, पुर्नगठन/उप विभाजन एवं भूमि के बदले भूमि आवंटन हेतु चैक लिस्ट का निर्धारण कर आदेश के साथ संलग्न की जा रही है। भविष्य में विभाग में प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों को निर्धारित चैक लिस्ट में ही भरकर सक्षम अधिकारियों से प्रमाणीकरण पश्चात ही स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

नियमन हेतु आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 10000/5000 वर्ग मीटर से अधिक एवं गैर आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000/2500 वर्ग मीटर से अधिक होने पर प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की चैक लिस्ट

क्र.सं.	बिन्दु	सूचना	
1.	आवेदक का नाम व पता व पूर्ण विवरण		
2.	भू-स्वामित्व दस्तावेजों अनुसार भू-स्वामी का नाम, पता व पूर्ण विवरण		
3.	क्या उक्त भूमि आवेदक की कृषि भूमि है?		
4.	भूमि का विवरण:-	राजस्व ग्रामः-	खसरा नं. :-
	आवेदन अनुसार		
	रामाबंदी अनुसार		
	90-क आदेश अनुसार		
	ले-आउट अनुसार		
	प्रस्तावित एकल पट्टे के रूपान्तरण / नियमन हेतु प्रस्तावित		
5.	जामबन्दी की प्रमाणित प्रति		
6.	अन्य मानदण्ड	नियमानुसार न्यूनतम आवश्यक व प्रस्तावित	प्रकरण में मौके पर उपलब्ध
	पहुँच मार्ग		
	क्षेत्रफल		
7.	क्या आवेदित भू-उपयोग, मास्टर प्लान भू-उपयोग के अनुरूप है या मास्टर प्लान भू-उपयोग में अनुज्ञेय है?		
8.	क्या प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन हुआ है? यदि हां तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश की प्रति		
9.	प्रकरण में नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा 90ए की कार्यवाही की जाकर पुनर्ग्रहण आदेश जारी करने की दिनांक व संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति।		
10.	न्यास द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान की प्रमाणित प्रति		
11.	ले आउट प्लान अनुमोदन हेतु सक्षम समिति का निर्णय/कार्यवाही विवरण		
12.	यदि प्रकरण में मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी आ रही हो तो उसकी स्थिति एवं क्षेत्रफल		
13.	एकल पट्टा प्रकरण में छुडवाये जाने वाले सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं ले-आउट प्लान पर अंकन/सुविधा क्षेत्र के एवज में जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (जो भी लागू हो)		
14.	क्या यह भूमि अधिसूचित निर्माण निषेध क्षेत्र में आती है या नहीं? यदि हां तो विवरण दें		
15.	क्या मूल खातेदारों ने उक्त भूमि को न्यास/स्थानीय निकाय के इक नें समर्पण पत्र, शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र भी प्रस्तुत किये हैं या नहीं?		
16.	क्या प्रस्तावित भूमि पर न्यास/स्थानीय निकाय की वर्तमान में कोई योजना है या किसी अवासि को कार्यवाही में छिचाराधीन/प्रस्तावित है।		

17	प्रश्नगत भूमि के संबंध में यदि न्यायालय से कोई स्थगत हो अथवा न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई वाद विचाराधीन हो तो उसका विवरण।	
18	प्रकरण के संबंध में रूपान्तरण/नियमन हेतु न्यास की स्पष्ट अभिशंषा।	
19	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हाँ तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति व निर्देशों के क्रम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी	
20	अन्य बिन्दु जो निर्णय लेने में सहायक हो।	

हस्ताक्षर व नाम
प्राधिकृत अधिकारी,
नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर व नाम
सचिव,
नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण

उपरिभाजन हेतु प्रस्तावित मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने से प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का चैक लिस्ट

1.	आवेदक का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
2.	भूस्थानित्य दस्तावेजों अनुसार भूखण्ड स्वामी का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
3.	आवंटन/लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन				
4.	न्यास योजना का भूखण्ड है अथवा निजी कृषि योजना का?				
5.	मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल				
6.	भूखण्ड के उप विभाजन का उद्देश्य यथा निजी उपयोग/छोटे भूखण्डों के रूप में बेचान/पारिवारिक उप विभाजन/अन्य				
7.	उप विभाजन पश्चात प्रत्येक उप विभाजित भू-भाग को नियमानुसार पहुँच मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं?				
8.	उप विभाजित किये जाने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल	क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	
		योग			
9.	सेट बेक		क्षेत्रफल		
			अग्र	साईड-।	साईड-॥
	मूल भूखण्ड के अनुसार				पीछे
	योजना/संबंधित तालिका के अनुसार				
	मौके की भवन रेखा के अनुसार				
	प्रस्तावित				
10.	प्रस्तावित उप विभाजन का मानचित्र व उप विभाजन से पूर्व का मानचित्र मय सेट बेक				
11.	यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही व निस्तारण का विवरण				
12.	उप विभाजन पश्चात प्रत्येक उप विभाजित भूखण्ड/भू-भाग को सेट बेक छोड़ने के उपरांत पर्याप्त निर्मित क्षेत्र मिल रहा है अथवा नहीं?				
13.	प्राधिकरण/न्यास/निकाय की सक्षम समिति/अधिकारी का निर्णय/अनुशंसा क्या है ? (निर्णय की प्रति)				
14.	सक्षम न्यायालय से यदि कोई स्थगन आदि हो तो उसका व न्यायिक प्रकरणों का विवरण				

15	समस्त भूखण्डधारियों की सहमति है या नहीं (प्रति उपलब्ध कराये)	
16	आयेदक भू-स्वामी है या अन्य कोई? उसका लीगल स्टेटस क्या है?	
17	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हैं तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति व निर्देशों के क्रम में की गई कार्यवाही / टिप्पणी	
18	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएं व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो	

हस्ताक्षर व नाम
प्राधिकृत अधिकारी,
नगर विकास न्यास / विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर व नाम
सचिव,
नगर विकास न्यास / विकास प्राधिकरण

पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने से प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु
प्रेषित किये जाने का चैक लिस्ट

1.	आवेदक का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
2.	भूस्थानित्व दस्तावेजों अनुसार भूखण्ड स्वामी का नाम				
3.	आवंटन/लीज डीएड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन				
4.	न्यास योजना का भूखण्ड है अथवा निजी कृषि योजना का?				
5.	पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल				
6.	भूरण्डों के पुनर्गठन का उद्देश्य यथा निजी आवास/फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग/अन्य				
7.	वरा पुनर्गठन पश्चात बहुमंजिला भवन प्रस्तावित है?				
8.	पुनर्गठन किये जाने वाले मूल भूखण्डों का क्षेत्रफल	क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	
		योग			
9.	सेट बेक	क्षेत्रफल			
		अग्र	साईड-।	साईड-॥	पीछे
	मूल भूखण्डों के अनुसार				
	योजना/संबंधित तालिका के अनुसार				
	मौके की भवन रेखा के अनुसार				
	प्रस्तावित				
10.	प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्डों के मध्य कोई राजकीय भूमि तथा रास्ता सम्मिलित है। हां/नहीं (यदि हां तो विवरण दे)				
11.	प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्ड का मानचित्र व पुनर्गठन से पूर्व का मानचित्र संलग्न करें।				
12.	यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही का विवरण				
13.	पुनर्गठन पश्चात बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने की रिस्ति में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा DB Civil Writ petition 1554/2004 में पारित निर्णय के क्रम में परीक्षण कर विस्तृत टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंसा।				
14.	प्राधिकरण/न्यास/निकाय की सक्षम समिति/आधिकारी का निर्णय/अनुशंसा (निर्णय की प्रति)				
15.	सक्षम न्यायालय से यदि कोई स्थगन आदि हो तो उसका व न्यायिक प्रकरणों का विवरण				
16.	समस्त भूखण्डधारियों की सहनति है या नहीं (प्रति उपलब्ध करायें)				
17.	आवेदक भू-स्वामी है या अन्य कोई? उसका लीगल स्टेटस क्या है?				

18	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हो तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा उन निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही/टिप्पणी	
19	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएं व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो	

हस्ताक्षर व नाम
प्राधिकृत अधिकारी,
नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर व नाम
सचिव,
नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण

सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने वाले भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सूचना एवं अनुशंसा हेतु बैक लिस्ट

विषय:- नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम/योजना के खसरा नं./भूखण्ड रक्का का से प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।

1.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक :-	
2.	a) आवेदक का नाम यदि आवेदक रखयं है। यदि आवेदन जरिये मुख्याराम है तो मुख्यारनामे की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नहीं है। b) यदि आवेदक कम्पनी है तो कम्पनी का पंजीबद्ध प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन की प्रमाणित प्रति एवं कम्पनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रेजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति। c) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	
3.	आवेदित भूमि कृषि भूमि है अथवा स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित/लीज डीड शुदा	
4.	आवेदित भूमि स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित/लीज डीड शुदा होने की स्थिति में आवंटन/लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन	
5.	आवेदित भूमि किसी योजना का भूखण्ड है अथवा एकल पट्टा	
6.	आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण/खसरा नम्बर मय ग्राम/तहसील व क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
7.	आवेदित भूमि का लागू मास्टर प्लान अथवा जारी लीजडीड/पट्टे के अनुसार भू-उपयोग	
8.	आवेदित भूमि का चाहे गर्दे भू-उपयोग परिवर्तन का मास्टर प्लान के अनुसार श्रेणी का स्पष्ट विवरण	
9.	यदि प्रकरण पूर्व में संदर्भित किया गया हो तो उसका विवरण	
10.	निम्न दस्तावेज संलग्न करें :- a) स्वामित्व दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी, लीजडीड/पट्टा इत्यादि। b) आवेदित भूमि व आस-पास मे स्थित खसरो को दर्शाते हुए खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति। c) साईट प्लान/लोकेशन प्लान एवं चारों ओर न्यूनतम 100-100 मीटर की दूरी तक का टोटल स्टेशन सर्वे d) प्रस्तावित भूमि जिस सड़क पर स्थित है उस सड़क की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई e) मास्टर प्लान/झापट मास्टर प्लान/जोनल डबलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/योजना मानचित्र में आवेदित भूमि की स्थिति का अंकन f) आवेदित भूमि के आस-पास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?	
11.	a) आवेदित भूमि सह-खातेदारी भूमि है या नहीं। b) आवेदित भूमि गैर-खातेदारी भूमि है या नहीं। c) आवेदित भूमि गै.मु.नदी, तालाब, नाला से प्रभावित है या नहीं। d) आवेदित भूमि किसी अवाप्ति में है या नहीं। e) आवेदित भूमि पर कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है या नहीं। f) आवेदित भूमि किसी औपचारिक तौर पर घोषित/प्रस्तावित योजना में है या नहीं। g) आवेदित भूमि सरकारी विभाग, जविप्रा, पीडब्ल्यूडी, एन.एच.ए. आई वन विभाग के स्वामित्व की है या नहीं। h) आवेदित भूमि की मौके की स्थिति i) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्माण विधमान हो तो नियमों एवं प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप है या नहीं के सम्बन्ध में रिपोर्ट।	

12.	स्वामित्व दरतावेजों का परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट टिप्पणी की स्वामित्व वैद्य है अथवा नहीं	
13.	आवेदित भूमि के आँत-पास स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में भू-उपयोग उपान्तरण किया गया है, तो उसका विवरण मय भू-उपयोग मानचित्र पर अंकन।	
14.	यदि प्रस्तावित स्थल से एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/ गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानचित्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोड़ने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नहीं	
15.	रेलवे रीमा /अभ्यासगा /खा संस्थापना/हवाई अडडा इत्यादि से दूरी एवं यदि प्रतिवन्धित दूरी से भूमि प्रभावित हो तो संबंधित विभाग की अनुपस्थिति।	
16.	आवेदित स्थल का मुख्य सड़क से सम्पर्क बाबत रिपोर्ट:- a) आवेदित भूमि नेशनल /स्टेट हाईवे/ग्रामीण सड़क/अन्य सड़क पर में से किस राड़क पर स्थित है। b) विधमान सड़क का मार्गाधिकार। c) सड़क का विवरण-डब्ल्यू.बी.एम./बी.टी. रोड आदि। d) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई ! e) यदि निकाय द्वारा वर्तमान पहुंच मार्ग को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत निकाय की टिप्पणी। f) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारों से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दरतावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र/समझौता आदि का विवरण।	
17.	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंसा (जहाँ आवश्यक हो)	
18.	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निकाय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की स्पष्ट अनुशंसा	
19.	भू-उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू-उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र की के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य।	
20.	प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन बाबत राज्य सरकार की स्वीकृति चाहे जाने का कारण एवं संबंधित प्रावधान	
21.	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य डीवी सिविल रिट पिटिशन 1554 / 2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 एवं समय-समय पर जारी निर्णयों के संदर्भ में परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंसा कि प्रकरण में किया जा रहा भू-उपयोग परिवर्तन इससे प्रभावित तो नहीं है।	
22.	प्रन्यास/प्राधिकरण की क्या अभिशंसा है।	
23.	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हो तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति व निर्देशों के क्रम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी	
24.	अन्य सूचना, जो निर्णय लेने में सहायक हो।	

हस्ताक्षर व नाम
स्थानीय निकाय में पद स्थापित वरिष्ठतम
नगर नियोजक

हस्ताक्षर व नाम
अधिशासी अधिकारी/आयुक्त/सचिव,
नगर पालिका/नगर निगम/नगर विकास न्याया/
विकास प्राधिकरण

भूमि के बदले भूमि आवंटन के प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने वाले प्रकरणों हेतु
चैक लिस्ट

1.	खातेदार / भूखण्डधारी जिसकी भूमि आवाप्त की जा रही हैं का विवरण:-	
2.	आवाप्त की जा रही भूमि का क्षेत्रफल, खसरा नं., प्लाट नं., पता, स्कीम का नाम व सम्पूर्ण विवरण	
3.	आवाप्त की जा रही कृषि भूमि है अथवा आवादी/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित/कृषि भूमि पर लीज डीड	
4.	स्वामित्व दस्तावेज संलग्न करें :-	
5.	क्या ली जा रही भूमि का स्वामित्व प्रमाणित है ? प्राधिकरण / न्यास की टिप्पणी ।	
6.	प्रस्तावित विकास कार्य/योजना का विवरण जिसके लिये भूमि लिया जाना प्रस्तावित है :-	
7.	आवाप्त भूमि स्थानीय निकाय को क्यों व किस प्रयोजन हेतु आवश्यक है ?	
8.	प्रस्तावित विकास कार्य/योजना के संबंध में प्राधिकरण / न्यास मण्डल की अनुशंसा	
9.	किन नियमों के अंतर्गत भूमि आवाप्त की जा रही है /भूमि के बदले भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है ।	
10.	भूमि के बदले आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, खसरा नं., प्लाट नं., पता, स्कीम का नाम व अन्य विवरण	
11.	क्या ली जाने वाली या दी जाने वाली भूमि एक ही स्कीम में है या अलग-अलग स्कीम में	
12.	अन्य स्कीम में भूमि क्यों प्रस्तावित की जा रही है ।	
13.	दोनों भूमियों की एक दूसरे से दूरी	
14.	दोनों भूमियों कितनी चौड़ी सड़क पर स्थित है?	
15.	भूमि अवाप्ति प्रक्रिया से ली गई है या अन्य किसी प्रक्रिया से ली गई हैं ।	
16.	भूमि निकाय के कब्जे में कब आयी व किस प्रक्रिया से ?	
17.	भूमि किससे ली गयी?	
18.	बदले में दी जाने वाली भूमि किसे दी जानी प्रस्तावित है?	
19.	यदि मूल भू-स्वामी के अलावा अन्य किसी को भूमि दी जानी है तो उसका कारण	
20.	ली गयी भूमि की किस्म/भू-उपयोग (a) भूमि लेने के समय (b) वर्तमान में (मास्टर प्लान के अनुसार)	
21.	प्रस्तावित भूमि की किस्म/भू-उपयोग	
22.	प्रस्तावित विकास कार्य/योजना हेतु विनियम की जाने वाली भूमियों का मूल्यांकन का आधार व मूल्यांकन का विवरण (ली जाने वाली एवं दी जाने वाली भूमि का मूल्यांकन)	
23.	उपरोक्त मूल्यांकन (बिन्दू संख्या-10) के आधार पर प्राप्त विचलन/समायोजन की स्थिति	

24.	पारस्परिक विनिमय हेतु प्रभावित पक्षकारान की सहमति/असहमति हेतु प्राप्त लिखित बन्ध पत्र/शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र	
25.	सक्षम न्यायालय से यदि कोई रथगन आदि हो तो उसका व न्यायिक प्रकरणों का विवरण	
26.	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हों तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा उक्त निर्देशों की पालना में की कार्यवाही का विवरण/टिप्पणी	
27.	भूमि के बदले भूमि आवंटन किये जाने बाबत प्राधिकरण/न्यास की स्पष्ट अनुशंसा	
28.	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएं व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो	

हस्ताक्षर व नाम
सचिव,
नगर विकास न्यास/विकास
प्राधिकरण